न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
73 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023	17.07.2023	26.10.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री हनुमान प्रसाद गोयल पुत्र श्री बाबूलाल गोयल निवासी ब्राह्मणों का मोहल्ला वार्ड नं. 10 दत्तवास तह. निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स हनुमान किराणा एण्ड जनरल स्टोर पुराना बाजार दत्तवास तह. निवाई जिला टोक
2—मैसर्स हनुमान किराणा एण्ड जनरल स्टोर पुराना बाजार दत्तवास तह. निवाई जिला टोक
3—श्री अनिल कुमार जैन पुत्र रामकरण जैन निवासी कोटखावदा मोड चाकसू जिला जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स बनवारी किराणा स्टोर कोटखावदा मोड टोंक रोड चाकसू जिला जयपुर
4—मैसर्स बनवारी किराणा स्टोर कोटखावदा मोड टोंक रोड चाकसू जिला जयपुर
5—राजेन्द्र कुमार डंगायल पुत्र श्री कालूराम डंगायच निवासी 645 जय लाल मुन्शी का रास्त, चांदपोल बाजार जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स नारायण सेल्स कॉरपोरेशन दुकान नं. 46 जौहरी बाजार जयपुर राज. गोदाम पता— बी—228, रोड नं. 9 वीकेआई एरिया जयपुर राज.
6—मैसर्स नारायण सेल्स कॉरपोरेशन दुकान नं. 46 जौहरी बाजार जयपुर राज. गोदाम पता— बी—228, रोड नं. 9 वीकेआई एरिया जयपुर राज.
7—श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री पोसा राम निवासी गोगाजी बस स्टैण्ड के पास मण्डावाला, जालौर राज. नॉमिनी मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इस्डस्ट्रीज लिमिटेड प्लॉट नं. बी—228 रोड नं. 9 वीकेआई एरिया जयुपर राज.
8—मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इस्डस्ट्रीज लिमिटेड प्लॉट नं. बी—228 रोड नं. 9 वीकेआई एरिया जयुपर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थीगण की ओर श्री हनुमान प्रसाद गोयल उप.।

:—निर्णय—: **दिनांक 26.10.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.03.2023 को समय 02:15 पीएम पर मैसर्स हनुमान किराणा एण्ड जनरल स्टोर पुराना बाजार दत्तवास तह. निवाई जिला टोक पर पहुंचा। वहां श्री हनुमान प्रसाद गोयल पुत्र श्री बाबूलाल गोयल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हनुमान प्रसाद गोयल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक के लगभग 35 नग **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री हनुमान प्रसाद गोयल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री हनुमान प्रसाद गोयल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर ए 24 एवं पैकिंग की दिनांक जनवरी 2023 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500–500 एम.एल. के 4 मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** 4 मूल पैक के ज्यों का त्यों नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3534, दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3534 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री हनुमान प्रसाद गोयल पुत्र श्री बाबूलाल गोयल ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स बनवारी किराणा स्टोर कोटखावदा मोड टोंक रोड चाकसू जिला जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स बनवारी किराणा स्टोर से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म ने मैसर्स नारायण सेल्स कॉरपोरेशन दुकान नं. 46 जौहरी बाजार जयपुर राज. गोदाम पता– बी–228, रोड नं. 9 वीकेआई एरिया जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत किया तथा मैसर्स नारायण सेल्स कॉरपोरेशन से सम्पर्क किए जाने पर इस फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड प्लॉट नं. बी–228 रोड नं. 9 वीकेआई एरिया जयुपर राज. का वारन्टी बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया जो कि निर्माता फर्म है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/1803 दिनांक 17.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./1035/एक्ट/2023/1100 दिनांक 04.04.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी श्री हनुमान प्रसाद गोयल उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर आवश्यक जानकारियां अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 20,000/— (अक्षरे बीस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 20,000/— (अक्षरे बीस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 20,000/— (अक्षरे बीस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 7 व 8 (निर्माता फर्म) पर कुल शास्ति रूपये 60,000/— (अक्षरे साठ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 26.10.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0